

xxxGIDHxxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239316 CG-DL-E-03102022-239316 असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 672] No. 672] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 754 (अ).—चिकित्सा युक्ति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 33 की उपधारा (1) अधीन यथा-अपेक्षित, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 104(अ), तारीख 9 फ़रवरी, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिनों की अवधि के समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आंमत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 10 फ़रवरी, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर विचार कर लिया गया है:

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, चिकित्सा युक्ति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चिकित्सा युक्ति (पांचवां संशोधन) नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

6635 GI/2022 (1)

- 2. चिकित्सा युक्ति नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 34 के उपनियम (1) में "थोक रूप में विक्रय या वितरण करने की अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात "या प्ररूप एमडी-42 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र" शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 3. उक्त नियमों में, नियम 87 के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—
 "(1क) कोई भी व्यक्ति जो की उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति नहीं धारण करता है और जो विशेष रूप से नियम
 3 के खंड (य ख) में निर्दिष्ट चिकित्सा युक्ति की बिक्री के लिए आशयित है, इन नियमों में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।"
- 4. उक्त नियमों में, नियम 87 के पश्चात्, निम्नलिखित नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"87क. *इन विट्रो* नैदानिक चिकित्सा युक्ति सहित किसी चिकित्सा युक्ति की बिक्री, स्टॉक, प्रदर्शन या बिक्री के लिए प्रस्तुत करने या वितरित करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र.—

- (1) राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी, इस भाग में यथा विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्रों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन से अनुज्ञापन प्राधिकारीयों की नियुक्ति करेगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति जो *इन विट्रो नैदानिक चिकित्सा युक्ति* सहित किसी चिकित्सा युक्ति की बिक्री, स्टॉक, प्रदर्शन या बिक्री के लिए प्रस्तुत करने या वितरित करने के लिए आशयित है, वह बिक्री, स्टॉक, प्रदर्शन या बिक्री या वितरण के लिए राजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए राज्य अनुज्ञापन प्राधिकरण को प्ररूप एमडी-41 में आवेदन करेगा।
- (3) उपनियम (2) के अधीन किए गए आवेदन के साथ निम्निलिखित प्रस्तुत किए जाएंगे:—
 - (i) द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शुल्क;
 - (ii) अच्छे वितरण अनुपालन के संबंध में अनुपालन का स्व-प्रमाण पत्र;
 - (iii) पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड या पैन कार्ड के साथ साथ आवेदक/फर्म के गठन सहित उसका विवरण.
 - (iv) परिसर के किराये पर होने पर स्वामित्व या अधिभोग के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य;
 - (v) उन सक्षम तकनीकी कर्मचारियों का विवरण जिनके निर्देशन और पर्यवेक्षण के अधीन चिकित्सा युक्ति की बिक्री गतिविधि शुरू की जाएगी और ऐसे कर्मचारियों के पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव होगा,—
 - (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान का डिग्री धारक हो, या
 - (ख) रजिस्ट्रीकृत फार्मासिस्ट हो; या
 - (ग) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो और चिकित्सा युक्ति की बिक्री के संबंध में एक वर्ष का अनुभव रखते हों
 - (vi) आवेदक द्वारा की गई अन्य गतिविधियों के संबंध में संक्षिप्त विवरण, *जैसे*: दवाओं, चिकित्सा सामग्रियों, खाद्य उत्पादों, स्टेशनरी आदि का भंडारण या उक्त परिसर में आवेदक द्वारा की गई कोई अन्य गतिविधि
 - (vii) इस आशय का वचनबंध कि चिकित्सा युक्ति की बिक्री, स्टॉक, प्रदर्शन या बिक्री या वितरण के लिए भंडारण आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा।
- (4) राज्य अनुज्ञापन प्राधिकरण, उप-नियम (2) के अधीन आवेदन करने की तारीख से दस दिनों के भीतर दस्तावेजों की जांच के बाद और इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, प्ररूप एमडी -42 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा, या यदि वह संतुष्ट नहीं है, तो लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से आवेदन को अस्वीकार कर देगा।
- (5) यदि किसी चिकित्सा युक्ति की बिक्री, स्टॉक, प्रदर्शन अथवा बिक्री या वितरण या प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने का आवेदन पत्र उप नियम (4) के अंतर्गत रद्द कर दिया जाता है तो

प्रभावित व्यक्ति, ऐसे रद्दकरण के प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के अंदर राज्य सरकार को अपील कर सकता है, जो ऐसी पूछताछ के बाद और अपीलकर्ता को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद ऐसी अपील प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के अवधि के अंदर उसका निपटान कर सकता है।

87 ख. इन विट्रो नैदानिक चिकित्सा युक्ति सहित किसी चिकित्सा युक्ति को बेचने, स्टॉक करने, प्रदर्शित या बिक्री के लिए प्रस्तुत करने या वितरित करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की शर्तें.— (1) नियम 87 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र आम लोगों के लिए दिखाई देने वाले परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

- (2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारक चिकित्सा युक्ति के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान और उचित भंडारण की स्थिति प्रदान करेगा।
- (3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारक ऐसे चिकित्सा युक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित तापमान और प्रकाश व्यवस्था बनाए रखेगा।
- (4) चिकित्सा युक्ति केवल आयातक या अनुज्ञप्तिधारी विनिर्माता या रजिस्ट्रीकृत/ अनुज्ञप्तिधारी संस्था से खरीदे जाएंगे।
- (5) ऐसे चिकित्सा युक्ति के नाम और मात्रा, विनिर्माताओं/ आयातकों के नाम और पते, बैच नंबर/लॉट नंबर, समाप्ति तारीख को दर्शाने वाले चिकित्सा युक्ति की खरीद और बिक्री का विवरण सॉफ्टवेयर सहित इनवॉयस या रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक के रूप में पृथक रिकॉर्ड में अनुरक्षित किया जाएगा।
- (6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट रिकॉर्ड नियम 18 के उपनियम (2) के अधीन नियुक्त चिकित्सा युक्ति अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुले होंगे, जो यदि आवश्यक हो, चिकित्सा युक्ति की खरीद और बिक्री के बारे में जांच कर सकते हैं और परीक्षण के लिए नमूने भी ले सकते हैं।
- (7) इन नियमों के अधीन उल्लिखित सभी रजिस्टरों और रिकार्डों को अंतिम प्रविष्टि से कम से कम दो वर्ष की अविध के लिए संरक्षित रखा जाएगा।
- (8) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारक को प्ररूप एमडी -43 में एक निरीक्षण पुस्तिका बनाए रखनी होगी ताकि चिकित्सा युक्ति अधिकारी अपनी टिप्पणियों और पाई गई खामियों को रिकॉर्ड कर सके।

87ग. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की वैधता.— (1) प्ररूप एमडी-42 में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, जब तक इसे राज्य अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है, स्थायी रूप से वैध रहेगा, जो इसके जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अविध पूरी होने से पहले दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रतिधारण शुल्क के भगतान के शर्ताधीन है:

परन्तु, यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारक नियत तारीख को या उससे पहले आवश्यक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रतिधारण शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारक, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रतिधारण शुल्क के अतिरिक्त, छह महीने के भीतर हर महीने या उसके किसी हिस्से के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रतिधारण शुल्क के दो प्रतिशत की दर से परिकलित किए गए विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।।

परंतु यह भी कि, पहले उपबंध में विनिर्दिष्ट उस अवधि के भीतर ऐसे शुल्क का भुगतान न किए जाने की स्थिति में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया समझा जाएगा।

- 87 (घ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का निलंबन और रद्दकरण.—(1) जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारक, अधिनियम या इन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो राज्य अनुज्ञापन प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारक को कारण बताने का अवसर देने के बाद कि ऐसा आदेश क्यों पारित नहीं किया जाना चाहिए, एक आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इसे ऐसी अविध के लिए निलंबित कर देगा जो वह या तो पूरी तरह से या किसी भी चिकित्सा युक्ति के संबंध में आवश्यक समझता है या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द करें।
 - (2) ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारक जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उपनियम (1) के अधीन राज्य अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द कर दिया गया है, ऐसे प्राधिकरण के आदेश की प्रति प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकता है और राज्य सरकार रजिस्ट्रीकरण धारक को सुनवाई का एक अवसर दे कर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारणों के साथ, इस तरह के आदेश की पृष्टि, उसे बदल या संशोधित कर सकेगा।"।

- 5. उक्त नियमों में, नियम 88 के उपनियम (1) में, "खुदरा या थोक" शब्दों के पश्चात्, "या प्ररूप एमडी-42 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" शब्द शामिल किया जाएगा।
- 6. उक्त नियमों की दूसरी अनुसूची में,—
 - (क) उपबंध के सन्दर्भ भाग में, "64(1), 81(1), 84" अंकों और कोष्ठक के पश्चात् तथा अंक "91" से पहले निम्नलिखित अंक, अक्षर और कोष्ठक शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:—

"87क(3), 87ग(1) और";

(ख) सारणी के क्रम संख्यांक 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ शामिल की जाएंगी, अर्थात्:—

क्रमांक	नियम	विषय	जहां डॉलर (\$) में निर्दिष्ट हो को छोड़कर,
			रुपये में (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)
"52.	87क(3)	चिकित्सा युक्ति की बिक्री हेतु	3000
		रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र	
53.	87ग(1)	चिकित्सा युक्ति की बिक्री के लिए	3000"
		रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को	
		बनाए रखने का शुल्क	

- 7. उक्त नियमों की चौथी अनुसूची में, भाग l में, आयात अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए मुख्तारनामा के आवेदन के प्रारूप के पैरा 1 में "विनिर्माण अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात्, "या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" शब्द शामिल किया जाएगा।
- 8. उक्त नियमों के परिशिष्ट में,—
 - (क) प्ररूप एमडी- 40 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप शामिल किए जाएंगे, अर्थातु:—

"प्ररूप एमडी -41

[नियम 87क का उपनियम (2) देखें]

इन-विट्रो डायग्नोस्टिक चिकित्सा युक्ति सहित चिकित्सा युक्ति को बेचने, स्टॉक करने, प्रदर्शित करने या बिक्री या वितरण के लिए प्रस्ताव हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन

- 1. आवेदक का नाम:
- 2. रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले परिसर का पता:
- 3. टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल आईडी सहित आवेदक का संपर्क विवरण:
- 4. आवेदक की प्रकृति और गठन: (अर्थात् स्वामित्व, सीमित देयता साझेदारी सिहत साझेदारी, निजी या सार्वजनिक कंपनी, समाज, ट्रस्ट, अन्य विनिर्दिष्ट करें):
- 5. नियुक्त किए गए सक्षम व्यक्ति का नाम, योग्यता और अनुभव:

• • • • • •	`	0, 1 , 1
6. शल्क भगतान की तारीख	म्हारा ।	रसीद/चालान/लेनदेन आईडी
७. राज्यः मगताम का ताराख	रुपथ	रसाद/ वालाग/लगदग आइडा

7. मैंने चिकित्सा युक्ति नियम, 2017 के नियम 87क के उपनियम (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को संलग्न कर दिया है।

स्थान: _____ तारीख: _____

निदेशक/ स्वत्वधारी /साझेदार का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

प्ररूप एमडी-42

[नियम 87क के उपनियम (4) और नियम 87ग के उपनियम (1) देखें]

इन-विट्रो डायग्नोस्टिक चिकित्सा युक्ति सहित चिकित्सा युक्ति को बेचने, स्टॉक करने, प्रदर्शित करने या बिक्री या वितरण के लिए प्रस्ताव हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक:
1. मैसर्स,(फर्म का नाम), स्थान
्इन-।वट्टा डायग्नास्टक माडकल युक्ति साहत ।चाकत्सा युक्ति का बचन, स्टाक करन, प्रदाशत करन या ।बक्रा या ।वतरण क ्लिए प्रस्ताव हेतु रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।
2. सक्षम व्यक्ति का नाम और योग्यता:
3. यह रजिस्ट्रीकरण औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और चिकित्सा युक्ति नियम, 2017 में निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन है।
स्थान:
तारीख:
राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी
प्ररूप एमडी-43
[नियम 87ख का उपनियम (8) देखें]
प्ररूप जिसमें निरीक्षण पुस्तिका रखी जाएगी
(क) निरीक्षण पुस्तिका के कवर पर निम्नलिखित विवरण होगा, अर्थात्:—
1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक का नाम और पता
2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या
(ख) (i) निरीक्षण पुस्तिका के पृष्ठों को क्रमांकित किया जाएगा और राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यथावत मुहर लगाई जाएगी। प्रथम और अंतिम पृष्ठ के अलावा अन्य पृष्ठों पर निम्नलिखित विवरण होंगे:-
परिसर निरीक्षण करने वाले चिकित्सा युक्ति अधिकारी का नाम और पदनाम:
निरीक्षण की तारीख
चिकित्सा युक्ति अधिकारी की टिप्पणियां
चिकित्सा युक्ति अधिकारी के हस्ताक्षर
(ii) निरीक्षण पुस्तिका के प्रथम और अंतिम पृष्ठ पर राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शब्दों में पृष्ठांकन किया जाएगा, अर्थात्:—
चिकित्सा युक्ति नियम, 2017 के अधीन प्ररूप एमडी-43 में रजिस्ट्रीकरण संख्या
के लिए पर स्थित मेसर्स द्वारा निरीक्षण पुस्तक रखी गई ।
राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी
टिप्पणियाँ:
(i) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निरीक्षण पुस्तिका की मुद्रित प्रति संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

- (ii) निरीक्षण पुस्तिका अनुज्ञप्तिधारी के परिसर में रखी जाएगी।
- (iii) चिकित्सा युक्ति अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों की मूल प्रति अनुज्ञप्तिधारी के परिसर में रखी जाएगी और दूसरी प्रति राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजी जाएगी। चिकित्सा युक्ति अधिकारी द्वारा इसे तीन प्रतियों को रिकॉर्ड के रूप में लिया जाएगा।";

- (ख) प्ररूप एमडी-14 में, पैरा 3 के उपपैरा (ii) में "विनिर्माण अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात्, "या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।
- (ग) प्ररूप एमडी-15 के पैरा 1 में, "विनिर्माण अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात्, "या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।
- (घ) प्ररूप एमडी-26 में, पैरा 3, उपपैरा (ii) में "विनिर्माण अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात्, "या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।
- (ङ) प्ररूप एमडी-28 में, पैरा 3, उपपैरा (ii) में, "विनिर्माण अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात्, "या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. एक्स.11014/15/2021-डीआर]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: चिकित्सा युक्ति नियम, 2017, राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 78(अ), तारीख 31 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 450(अ), तारीख 15 जून, 2022 द्वारा अंतिमतः संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

G.S.R.754(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Medical Devices Rules, 2017 was published, as required under sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number G.S.R. 104(E), dated the 9th February, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 10th February, 2022;

And whereas, objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Medical Devices Rules, 2017, namely:—

- 1. (i) These rules may be called the Medical Devices (Fifth Amendment) Rules, 2022.
 - (ii) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Medical Devices Rules, 2017(hereinafter to be referred as the said rules), in rule 34, in sub-rule (1), after the words "wholesale licence for sale or distribution", the words, letters and figure "or registration certificate in Form MD-42" shall be inserted.
- 3. In the said rules, in rule 87, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(1A) Any person not holding licence under sub-rule (1) and intends to sell medical devices exclusively as referred to in clause (zb) of rule 3, shall obtain registration certificate as provided in these rules.".
- 4. In the said rules, after rule 87, the following rules shall be inserted, namely:—
 - "87A. Registration certificate to sell, stock, exhibit or offer for sale or distribute a medical device including in vitro diagnostic medical device.— (1) The State Licencing Authority shall appoint

Licensing Authorities for the purpose of issuing registration certificate under this Part for such areas as may be specified.

- (2) Any person who intends to sell, stock, exhibit or offer for sale or distribute a medical device including *in vitro* diagnostic medical device, shall make an application in Form MD-41 to the State Licensing Authority for grant of registration certificate to sell, stock, exhibit or offer for sale or distribution.
- (3) The application made under sub-rule (2) shall be accompanied with
 - (i) a fees specified in Second Schedule;
 - (ii) self certificate of compliance with respect to Good Distribution Compliance;
 - (iii) details of the applicant or firm including its constitution, along with identification proof, such as, Aadhar card or PAN card;
 - (iv) documentary evidence in respect of ownership or occupancy on rental of the premises;
 - (v) details of competent technical staff, under whose direction and supervision the sales activity of medical device shall be undertaken, who shall possess the following educational qualification and experience, namely:—
 - (a) hold a degree from a recognized University/Institution; or
 - (b) is a registered pharmacist; or
 - (c) has passed intermediate examination or its equivalent examination from a recognised Board with one-year experience in dealing with sale of medical devices;
 - (vi) brief description on other activities carried out by applicant, namely, storage of drugs, medical items, food products, stationeries, etc., or any other activities carried out by the applicant in the said premises; and
 - (vii) an undertaking to the effect that the storage requirements to sell, stock, exhibit or offer for sale or distribute a medical device will be complied with.
 - (4) The State Licensing Authority shall, after scrutiny of documents and on being satisfied that the requirements of these rules have been complied with, grant a registration certificate in Form MD-42, or if not satisfied, reject the application for reasons to be recorded in writing, within ten days from the date the application is made under sub-rule (2).
 - (5) If the application for grant of registration certificate to sell, stock, exhibit or offer for sale or distribute a medical device is rejected under sub-rule (4), the aggrieved person may prefer an appeal before the State Government within forty-five days from the date of receipt of such rejection, which may, after such enquiry and after giving an opportunity of being heard to the appellant, dispose it within a period of sixty days from the date of receipt of such appeal.
- **87B.** Conditions of registration certificate to sell, stock, exhibit or offer for sale or distribute a medical device including *in vitro* diagnostic medical device.— (1) The registration certificate granted under rule 87A shall be displayed at a prominent place in the premises visible to the public.
 - (2) The registration certificate holder shall provide adequate space and proper storage condition for storage of the medical devices.
 - (3) The registration certificate holder shall maintain requisite temperature and lighting as per requirements of such medical devices.
 - (4) The medical devices shall be purchased only from importer or licensed manufacturer or registered or licensed entity.
 - (5) Separate records, in the form of invoice or register or electronic details including software of purchases and sales of medical devices showing the names and quantities of such medical devices, names and addresses of the manufacturers or importers, batch number or lot number and expiry date (if applicable) shall be maintained.
 - (6) The records referred to in sub-rule (5) shall be open to inspection by a Medical Device Officer appointed under the sub-rule (2) of rule 18, who may, if necessary, make enquiries about purchases and sale of the medical devices and may also take samples for testing.

- (7) All registers and records mentioned under these rules, shall be preserved for a period of not less than two years from the last entry, therein.
- (8) The registration certificate holder shall maintain an inspection book in Form MD-43 to enable the Medical Devices Officer to record his observations and defects noticed.
- **87C.** Validity of registration certificate.— (1) A registration certificate issued in Form MD-42, shall remain valid in perpetuity, subject to payment of registration certificate retention fee as specified in the Second Schedule, before completion of the period of five years from the date of its issue, unless, it is suspended or cancelled by State Licensing Authority:

Provided that, if the registration certificate holder fails to pay the required registration certificate retention fee on or before due date, the registration certificate holder shall, in addition to the registration certificate retention fee, be liable to pay a late fee calculated at the rate of two per cent. of the registration certificate retention fee for every month or part thereof within six months:

Provided further that in the event of non-payment of such fee within the period referred to in the first proviso, the registration certificate shall be deemed to have been cancelled.

- 87D. Suspension and cancellation of Registration Certificate.— (1) Where the registration certificate holder contravenes any provision of the Act or these rules, the State Licensing Authority, shall, after giving the registration certificate holder an opportunity to show cause as to why such an order should not be passed, by an order and for reasons to be recorded in writing, suspend it for such period as it considers necessary either wholly or in respect of any of the medical device or, as the case may be, cancel the registration certificate.
 - (2) A registration certificate holder whose registration certificate has been suspended or cancelled by the State Licensing Authority under sub-rule (1), may within forty-five days of the receipt of a copy of the order by such authority, prefer an appeal to the State Government and the State Government, shall after giving the registration holder an opportunity of being heard, confirm, reverse or modify such order, with reasons to be recorded in writing."
- 5. In the said rules, in rule 88, in sub-rule (1), after the words "retail or wholesale", the words, letters and figures "or registration certificate in Form MD-42" shall be inserted.
- 6. In the said rules, in the Second Schedule,—
 - (a) in the provisions reference portion, after the figures and brackets "64(1), 81(1), 84," and before the figure "91", the following figures, letters and brackets shall be inserted, namely:—

(b) in the table, after serial number 51 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

Sr. No.	Rule	Subject	In rupees (INR) except where specified in dollars (\$)
(1)	(2)	(3)	(4)
"52.	87A(3)	Registration certificate for sale of medical devices	3000
53.	87C(1)	Retention fee for registration certificate for sale of medical devices	3000"

- 7. In the said rules, in the Fourth Schedule, in Part I, in the format of application of Power of Attorney for issuance of import licence, in paragraph 1, after the words "or manufacturing licence", the words "or registration certificate" shall be inserted.
- 8. In the said rules, in the Appendix,—
 - (a) after Form MD-40, the following Forms shall be inserted, namely:—

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9

"Form MD-41

[See sub-rule (2) of rule 87A]

APPLICATION FOR GRANT OF REGISTRATION CERTIFICATE TO SELL, STOCK, EXHIBIT OR OFFER FOR SALE OR DISTRIBUTE A MEDICAL DEVICE INCLUDING $\it{in vitro}$ DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE

1.	Name of applicant:				
2.	Address of the premises to be registered:				
3.	Contact details of applicant including telephone number, mobile number, fax number and email id:				
4.	Nature and constitution of applicant: (<i>i.e.</i> proprietorship, partnership including Limited Liability Partnership private or public company, society, trust, other to be specified)				
5.	Name, qualification and experience of competent person appointed:				
6.	Fee paid on Rs receipt/challan/transaction Id				
7. I have enclosed the documents as specified in the sub-rule (3) of rule 87A of the Medical Devices R					
	Place:				
	Date:				
	Name, designation & signature o				
	Director/Proprietor/Partne				
	Form MD-42				
	[See sub-rule(4) of rule 87A and sub-rule (1) of rule 87C]				
	GISTRATION CERTIFICATE TO SELL, STOCK, EXHIBIT OR OFFER FOR SALE OR DISTRIBUTI IEDICAL DEVICE INCLUDING <i>IN VITRO</i> DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE				
Regi	istration No.:				
1. N	M/s,(Name of the firm) situated a				
regis	(full address with telephone and e-mail) has been stered to sell, stock, exhibit or offer for sale or distribute a medical device including <i>in vitro</i> diagnostic medicate under the Medical Devices Rules, 2017.				
	ame and qualification of competent person:				
3. Tł	his registration is subject to the conditions as specified in the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and the lical Devices Rules, 2017.				
	e:				
	::				
	State Licensing Authorit				
	Form MD-43				
	[See sub-rule (8) of rule 87B]				
	Form in which the Inspection Book shall be maintained				
	(A) The cover of the inspection book shall contain the following particulars, namely:—				
	1. The name and address of the registration certificate holder				
	2. Registration certificate number				
	(B) (i) The pages of the inspection book shall be serially numbered and duly stamped by the State Licensing Authority*. The pages, other than the first and the last pages, shall have the following particulars:—				
	Name and designation of the Medical Device Officer who inspected the premises:				
	Date of inspection				
	Observations of the Medical Device Officer				

Signature of the Medical Device Officer

(ii) The first and following words,	last pages of the inspection book sinamely:—	hall be endorsed by the State Lice	ensing Authority with the
Inspection book number	maintained by M/sin Form MD-43	situated at under the Medical Device	for Registration s Rules, 2017.
		;	State Licensing Authority

Notes:

- (i) Printed copy of the inspection book may be obtained by the licencee from the Licensing Authority on payment of fee as may be specified by the concerned Licensing Authority from time-to-time.
- (ii) The inspection book shall be maintained at the premises of the licencee.
- (iii) The original copy of observations made by the Medical Device Officer shall be maintained in the premises of the licencee and duplicate copy shall be sent to the State Licensing Authority. The triplicate copy shall be taken as record by the Medical Device Officer.";
 - (b) in Form MD-14, in paragraph 3, in sub-para (ii), after the words "manufacturing licence", the words "or registration certificate" shall be inserted;
 - (c) in Form MD-15, in paragraph 1, after the words "manufacturing licence", the words "or registration certificate" shall be inserted:
 - (d) in Form MD-26, in paragraph 3, in sub-paragraph (ii), after the words "manufacturing licence", the words "or registration certificate" shall be inserted;
 - (e) in Form MD-28, in paragraph 3, sub-paragraph (ii), after the words "manufacturing licence", the words "or registration certificate" shall be inserted.".

[F. No. X.11014/15/2021-DR]

DR. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secv.

Note: The Medical Devices Rules, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, subsection (i) *vide* notification number G.S.R. 78(E), dated the 31st January, 2017 and last amended *vide* notification number G.S.R. 450(E), dated the 15th June, 2022.